

# चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत

## टैंकर

(निविदा फार्म मूल्य 590.00)

मार्ग का नाम—चम्पावत से खटीमा/लालकुआँ/अल्मोडा/पिथोरागढ/किमतोली/हिमालयन बास्केट  
चम्पावत/देहरादून/हरिद्वार.....

1. निविदा दाता का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. स्थाई पता.....
4. पत्र व्यवहार का पता.....
5. आधार नम्बर.....(आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें)
6. पैन कार्ड न०.....(पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें)
7. जमा अर्नेस्टमनी का विवरण:—  
(अ) नगद रसीद संख्या.....(ब) दिनांक.....(स) धनराशि (रु०).....  
(द) बैंक का नाम.....डापट संख्या.....
8. वाहन का विवरण:—  
(क) वाहन का प्रकार.....(ख) मॉडल वर्ष.....  
(ग) वाहन का पंजीकरण न०.....(घ) बीमे की वैधता तिथि.....  
(ङ) रोड टैक्स जमा की वैधता तिथि.....  
(च) गाडी की दुलान क्षमता लीटर—  
(क) दर प्रति लीटर:—  
01—चम्पावत से खटीमा— (अंकों में).....(शब्दों में).....  
02—चम्पावत से लालकुआँ—(अंकों में).....(शब्दों में).....  
03—चम्पावत से पिथोरागढ—(अंकों में).....(शब्दों में).....  
04—चम्पावत से अल्मोडा—(अंकों में).....(शब्दों में).....  
05—चम्पावत से किमतोली—(अंकों में).....(शब्दों में).....  
06—चम्पावत से देहरादून—(अंकों में).....(शब्दों में).....  
07—चम्पावत से हरिद्वार—(अंकों में).....(शब्दों में).....  
08—चम्पावत से हिमालयन बास्केट—(अंकों में).....(शब्दों में).....  
09—चम्पावत से टाटा—(अंकों में).....(शब्दों में).....  
10—निविदा एक वर्ष अथवा दो वर्ष हेतु चाहते हैं, अंकित करें—

प्रमाण —पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों, शर्तों, मार्ग की अनुमानित दूरी एवं संस्था द्वारा मार्गवार निर्धारित अधिकतम दरों को भली भांति पढ़ एवं समझ लिया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार अपना वाहन चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० चम्पावत में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ। उक्त प्रविश्टियों मैंने स्वयं भरी/भरवाई है और मेरी जानकारी पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पाई जाती हैं तो संस्था को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा स्वीकृत हो जाने पर संस्था द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुबन्ध की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करूंगा तथा संस्था द्वारा निर्धारित जमानत राशि संस्था कार्यालय में जमा कर दूंगा। अन्यथा मेरी अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जाये।

दिनांक—

स्थान—

मोबाइल नम्बर—

प्रशासन

दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी स्टोर/यातायात  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

प्रभारी वित्त/लेखा  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

हस्ताक्षर निविदादाता—  
नाम—  
पूरा पता—

प्रभारी कारखाना  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

कार्यालय, चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत  
टैकर दुग्ध ढुलान हेतु निविदा फार्म भरने हेतु दिशानिर्देश एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व प्रपत्र में दिये गये आवश्यक दिशानिर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ कर ही साफ एवं शुद्ध भाषा में भरें।
2. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
3. निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में क्रमशः तकनीकी बिन्दु एवं वित्तीय बिन्दु को रखते हुए उन्हें एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखकर डाली जाये। तकनीकी बिन्दु की सभी अर्हताएं पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिन्दु का लिफाफा खोला जायेगा। किसी भी मार्ग के लिए तीन वैध निविदाएं होने पर ही निविदा मान्य होगी।
4. प्राप्त निविदा में 02 अथवा 02 से अधिक निविदायें समान दर की प्राप्त होने पर वर्तमान मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. एक वाहन के प्रपत्र से एक ही मार्ग की निविदा स्वीकृत होगी। यदि दो मार्ग में एक ही वाहन की निविदा न्यून पायी जाती है तो दोनों मार्गों में न्यूनतम दर मार्ग को स्वीकृत किया जायेगा तथा द्वितीय मार्ग की अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में परिवहन हेतु निविदा मार्ग/प्रकार का नाम एवं निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
7. निविदा फार्म में स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है।
8. निविदायें प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत जूप पटवा चम्पावत, के नाम से निविदा पेटी में दिनांक 28 मई 2026 को निविदायें 12:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी, जो कि उपरोक्तानुसार अपराह्न 2 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय चम्पावत में खोली जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त संबंधित समस्त मार्गों की निविदायें दिनांक 28 मई 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय चम्पावत के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदादाताओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. पशुआहार/दुग्ध टैन्कर ढुलान हेतु वाहन का मॉडल वर्ष 2015 से कम नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी दशा में होना अनिवार्य है।
10. निविदा फार्म के साथ निविदादाता का आधार, पैन कार्ड, वाहन की आर०सी०, बीमा, परमिट एवं फिटनेस व टैक्स आदि के वैध प्रपत्र, संलग्न होने चाहिये अन्यथा निविदा फार्म निरस्त कर दी जायेगी।
11. वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। पावर ऑफ अर्टनी मान्य नहीं होगी।
12. निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म में उल्लेखित वाहन का विवरण के अनुसार वैध दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं वाहन हेतु रू० 5,000.00 (पाँच हजार रूपया) बतौर अर्नेस्ट मनी की जमा रसीद की मूल प्रति/छायाप्रति या डी०डी जो इस संस्था के नाम देय हो मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी निविदा पूर्ण होने अथवा एक माह उपरान्त ही प्रदान की जायेगी।
13. यदि वाहन का माडल वर्ष में (A/F) अंकित किया जाता है, तो ऐसी निविदादाता को वाहन क्रय रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. एक अर्नेस्ट मनी से एक निविदा ही भरी जायेगी। एक अर्नेस्ट मनी राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
15. दुग्ध संघ से पूर्व में किसी प्रकार से विवाद करने वाले, अथवा दुग्ध संघ की छवि धूमिल करने वाले, चोरी में पकड़े गये अथवा अन्य किसी प्रकार से विवादित अथवा दुग्ध संघ कर्मियों से मारपीट/गाली गलौच अथवा अन्य किसी प्रकार के विवादित अथवा अनुचित चरित्र वाले निविदा दाता का निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
16. वर्तमान या पूर्व में कार्यरत परिवहनकर्ताओं को संस्था के वित्त/उपार्जन/विपणन अनुभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिनांक 31 मार्च 2026 तक संस्था की किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि होने अथवा विवादित होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारा स्टोर/यातायात  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

प्रशासन  
दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी वित्त/लेखा  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

प्रभारी पी० एण्ड आई०  
दुग्ध संघ चम्पावत  
प्रभारी कारखाना  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

7. पूर्व परिवहनकर्ता द्वारा अपने अनुभागाध्यक्ष एवं प्रभारी यातायात से संतोषजनक कार्य की प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. ट्रैक्टर परिवहनकर्ताओं को दुग्ध संघ के मांग के अनुसार दुग्ध ढुलान हेतु चम्पावत से खटीमा अधिकतमदर 1.39 प्रति ली० चम्पावत से लालकुआँ अधिकतमदर 2.28 प्रति ली० चम्पावत से देहरादून अधिकतमदर 4.88 प्रति ली० चम्पावत से हरिद्वार अधिकतमदर 4.88 प्रति ली० खटीमा से चम्पावत अधिकतमदर 1.44 प्रति ली० चम्पावत से किमतोली/खेतीखान अधिकतमदर 4720 प्रति चक्कर चम्पावत से हिमालयन बार्केट अधिकतमदर 3990 प्रति चक्कर चम्पावत से अल्मोडा अधिकतमदर 2.35 प्रति ली० चम्पावत से बायादेवीधुरा 2.65 प्रति ली० चम्पावत से टाटा अधिकतमदर 5610 प्रति चक्कर देय होगी।
19. चोरी करते हुए पाये जाने अथवा स्टॉफ से दुव्यवहार करने पर प्रथम दृष्टया 5000.00 रुपये की कटौति की जायेगी तथा जमानत राशि जब्त करते हुए वाहन संस्था से प्रथक कर दिया जायेगा तथा सदैव के लिये सम्बन्धित को संस्था की काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
20. परिवहनकर्ता ऑचल ब्रान्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी फर्म का दुग्ध ढुलान नहीं करेगा।
21. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, बिना कारण बताये संस्था के प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।
22. प्रत्येक वाहन के लिये चालक की व्यवस्था निविदाता को करनी होगी तथा पूर्ण उसका विवरण संस्था में लिखित देना होगा। चालक को बदलने पर उसकी पूर्व सूचना लिखित में संस्था को देनी होगी।
23. निविदा फार्म में दरों में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, कटिंग, होने पर दरें पुनः स्पष्ट रूप में हस्ताक्षर सहित लिखी होनी आवश्यक है।
24. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी तथा जमानत राशि के रूप में दुग्ध ढुलान कार्य हेतु वाहन को 50,000.00 (पचास हजार) जमानत राशि जमा करनी होगी।
25. निविदा स्वीकृत हो जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ रू० 100.00 (एक सौ) मूल्य के नान-जूडिषियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
26. अनुबन्ध समाप्त तिथि से यदि संस्था चाहे तो अधिकतम तीन-तीन माह हेतु दो बार अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसे निविदा दाता मानने के लिये बाध्य होगा, अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
27. मार्गों पर लगने वाले समस्त करों जैसे पथ कर, सेतु कर, टौलटेक्स आदि का भुगतान परिवहन कर्ता द्वारा किया जायेगा।
28. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन निरीक्षण कराने की सूचना दी जायेगी। निविदादाता को निर्धारित तिथि के अन्दर वाहन का निरीक्षण करने हेतु वाहन को दुग्ध संघ कार्यालय में लाना होगा अन्यथा निविदा निरस्त करते हुये अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी। निविदा में दिये गये वाहन को ही चलाना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि दूसरा वाहन भेजना आवश्यक हो तो परिवहनकर्ता को इसकी सूचना देकर अनुमति लेनी होगी।
29. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्रिक सदस्य (हिस्सा पूंजी 200.00 रू० तथा प्रवेश शुल्क 25.00 रू० कुल 225.00 रू० जमाकर) सदस्य बनना होगा।
30. निविदादाता को परिवहन बिल के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा।
31. संस्था के बकायेदारों की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी और नहीं उनके वाहन के प्रपत्रों पर अन्य व्यक्ति की निविदा मान्य होगी।
32. वाहन को जिस कार्य हेतु लगाया जायेगा, उसके अतिरिक्त अन्य बाहरी कार्य परिवहनकर्ता को नहीं करने होंगे।
33. दैवीय आपदा/दुर्घटना होने पर किसी प्रकार का क्लेम संस्था द्वारा देय नहीं होगा।
34. वाहन खराब होने/दुर्घटनाग्रस्त होने/अन्य किसी कारण से व्ययधान होने पर निविदादाता को ही वाहन की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा वाहन व्यवस्था न करने पर निविदादाता की जमानत राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा वाहन व्यवस्था कर ली जायेगी एवं अतिरिक्त व्ययभार का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

प्रभारा स्टोर/यातायात  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

प्रशासन  
दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी वित्त/लेखा  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

पी० एण्ड आई०  
संघ, चम्पावत  
प्रभारी कारखाना  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

- बिल की समाप्ति होने पर परिवहनकर्ता को अधिकतम बीस दिन के अन्दर बिल संस्था चम्पावत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यधिक विलम्ब एवं एक साथ कई माहों का बिल प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिये परिवहनकर्ता का उत्तदायित्व होगा।
36. परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में अनुबन्ध का उल्लघन करने पर यदि संस्था/समितियों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत को परिवहनकर्ता से संपूर्ण क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होगा।
37. निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन होगी।
38. निविदा में टैक्निकल बिड की शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही फाइनैन्शियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू-बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जाये तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग-अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।

नोट-उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 01 से 38 तक की शर्तें पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

### निविदादाता की घोषणा

उक्त शर्तों को मैंने भली-भांति पढ़ एवं समझ लिया है, मैं सभी शर्तों को समझने के पश्चात् ही निविदा डाल रहा हूँ, जो कि मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर  
निविदादाता

प्रभोरा स्टोर/यातायात  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

प्रशासन  
दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी पी० एण्ड आई०  
दुग्ध संघ, चम्पावत

प्रभारी वित्त/लेखा  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

प्रभारी कारखाना  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
चम्पावत

# कार्यालय चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० चम्पावत

## निविदा सूचना

राज्य योजनान्तर्गत/संस्था कार्य हेतु दुग्ध संघ चम्पावत को विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निम्नवत सामग्री/वाहनो की आवश्यकता है।

क्र०सं०	मार्ग का नाम	वहन का प्रकार
1	कार्यालय कार्य हेतु वाहन	बोलेरो/समकक्ष
2	दुग्ध दुलान टैंकर चम्पावत से खटीमा, लालकुआँ, देहरादून, पिथौरागढ़, किमतोली, हिमालय बास्केटबॉल चम्पावत एवं अल्मोडा	कैन्टर/समकक्ष
3	स्टेशनरी एवं दुग्ध जाँच उपकरण	प्रारूप कार्यालय में उपलब्ध हैं

उक्त हेतु निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/निविदा पेटिका के माध्यम से दिनांक 18/05/2026 से 28/05/2026 की अपराह्न 12 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 28/05/2026 को अपराह्न 2.00 बजे निविदादाताओं के सम्मुख खोली जाएगी। इच्छुक निविदादाता 18/05/2026 से 28/05/2026 की अपराह्न 12 बजे तक 590.00 रुपये नगद जमा कर (समस्त कर सहित) निविदा फॉर्म में नियम एवं शर्तें संस्था द्वारा संलग्न होगी। संस्था के कोषागार जूप पटवा चम्पावत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं निविदा फॉर्म यू०सी०डी०एफ० लि० की वैबसाईड [www.ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org) से भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड किये जाने पर 590.00 रुपये बैंक ड्राफ्ट दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० चम्पावत के नाम देय अथवा नगद जमा रसीद संलग्न करनी होगी। किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार प्रबन्धक दुग्ध संघ जूप पटवा चम्पावत के पास सुरक्षित रहेगा। सम्पर्क न० 936872487

प्रबन्धक

दुग्ध संघ चम्पावत

पानिती रेवरी

अध्यक्षा

दुग्ध संघ चम्पावत